# देशभर में CAA लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश अलर्ट पर

## चर्चा में क्यों?

नागरिकता संशोधन कानून, 2019 लागू होने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया।

## मुख्य बिंदु:

- DGP मुख्यालय ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है जबकि **संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल** तैनात किया गया है।
  - जनता को भड़काने वाली सामग्री को नियंत्रित करने के लिये **सोशल मीडिया पर निगरानी** रखना।
  - राज्य भर की पुलिस को संबंधित इलाकों में पैदल गश्त करने का निर्देश दिया गया है।
  - राज्य में हालात पर नज़र रखने के लिये **CCTV** और **ड्रोन कैमरे** तैनात किये जाएंगे।
- यह घटनाक्रम केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा CAA के कार्यान्वयन के लिये नियमों को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित करने के बाद आया।

## नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019

- CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से छह गैर-दस्तावेज़ गैर-मुस्लिम समुदायों (**हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई**) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
- यह छह समुदायों के सदस्यों को **विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920** के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है।
- दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और समाप्त वीज़ा तथा परमिट पर यहाँ रहने के लिये सज़ा निर्दिष्ट करते हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttar-pradesh-on-alert-after-caa-implemented-across-country